सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 23, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 13, 2025 *Vaisakha 23, Tuesday, Saka 1947- May 13, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/5986 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खंड (ग) स्पष्टित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ को नगर परिषद में क्रमोन्नत करते हुए वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैंः-

क्र.सं.	जिला	नगर **परिषद का** नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	चित्तौड़गढ़	नगर परिषद निम्बाहेड़ा	ग्राम पंचायत बडोलीघाटा का राजस्व ग्राम अहीरपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। ग्राम पंचायत रानीखेड़ा का राजस्व ग्राम साकिरया एवं मड्डा गुलफरोशान का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। ग्राम पंचायत बडोली माधोसिंह का राजस्व ग्राम बोराखेडी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। ग्राम पंचायत जलियां का राजस्व ग्राम कल्याणपुरा एवं सिंगरी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को क्रमोन्नत नगर परिषद निम्बाहेड़ा की सीमा में सम्मिलित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।